न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -109/2022

अनवान

भूरा पिता हरला जी, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़मउखुर्द, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. श्री सरकार जरिये जिला कलक्टर साहब, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री यशवन्त राय श्रीवास्तव अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 01, 02 पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 19.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त अनवान का एक वादपत्र अलग से वादी ने न्यायालय आपमें पेश कर दिया है जो काफी ठोस, सशक्त व सुदृढ़ आधारों पर आधारित होने से अवश्यक ही पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित होगा लेकिन वाद पत्र की कुलिया सुनवाई होकर निर्णय में समय लगेगा। ग्राम धांगड़मउखुर्द, प0ह0 धांगड़मउखुर्दर्द, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ की साबिक खाता संख्या 270 पर दर्ज आराजी संख्या 150/9 रकबा 1.52 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी जिसकी नवीन खाता संख्या 214 में दर्ज आराजी नम्बर 537 रकबा 1.51 हैक्टर कायम किये गये। धांगड़मउखुर्द में प्रार्थी साबिक आराजी नम्बर 150/9 जिसके बाद सेटलमेंट नवीन आराजी नम्बर 622 दर्ज होना चाहिए थे क्योंकि प्रार्थी वर्षो से नवीन आराजी नम्बर 622 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों ने त्रुटिवश प्रार्थी को नवीन जमाबंदी में 537 रकबा 1.51 हैक्टर भूमि का खातेदार एवं नवीन नक्शे में भी प्रार्थी को आराजी नम्बर 622 के बजाये आराजी नम्बर 537 पर दर्शा दिया है जबकि प्रार्थी आज भी मौके पर आराजी नम्बर 622 रकबा 1.93 हैक्टर में से 1.52 हैक्टर भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है इसलिए सेटलमेंट के जमाबंदी एवं नक्शे में हुई त्रुटि को दुरूस्त कर प्रार्थी को आराजी नम्बर 622 रकबा 1.93 हैक्टर में से 1.52 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी अनुसार नक्शे में दुरूस्ती फरमाई जावे तदर्थ यह वादपत्र बाबत् खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश है। सेटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों को प्रार्थी के नाम आराजी नमबर 622 रकबा 1.93 हैक्टर में से 1.52 हैक्टर का खातेदार काश्तकार [illegible] में अंकन करना था एवं इसी अनुसार नवीन नक्शे में भी दर्शाना था लेकिन सेटल[illegible] कर्मचारि[illegible] नवीन जमाबंदी में आराजी नम्बर 537 रकबा 1.51 हैक्टर [illegible] आराजी को नवीन नक्शे में भी प्रार्थी के नाम दर्शा दिया है [illegible] से बेदखल कर वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा छिनने पर आमादा हो रहे है और इसी गर[illegible] आये दिन प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करते रहते है जिससे विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थी को आराजी नम्बर 622 रकबा 1.93 हैक्टर में से 1.52 हैक्टर भूमि से बेदखल नहीं करे एवं आराजीयात के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें। — — — — — —

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Ga
Date: 2024.11.27 17:12:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं होने से न्यायालय द्वारा जवाब बन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की जमीन ग्राम धांगड़मउखुर्द, प0ह0 धांगड़मउखुर्दर्द, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ की साबिक खाता संख्या 270 पर दर्ज आराजी संख्या 150/9 रकबा 1.52 हेक्टर कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी जिसकी नवीन खाता संख्या 214 में दर्ज आराजी नम्बर 537 रकबा 1.51 हैक्टर कायम किये गये। धांगड़मउखुर्द में प्रार्थी साबिक आराजी नम्बर 150/9 जिसके बाद सेटलमेंट नवीन आराजी नम्बर 622 दर्ज होना चाहिए थे क्योंकि प्रार्थी वर्षो से नवीन आराजी नम्बर 622 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों ने त्रुटिवश प्रार्थी को नवीन जमाबंदी में 537 रकबा 1.51 हैक्टर भूमि का खातेदार एवं नवीन नक्शे में भी प्रार्थी को आराजी नम्बर 622 के बजाये आराजी नम्बर 537 पर दर्शा दिया है। इसके विपरित अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया है कि सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा भूलवश व त्रुटिवश भूमि राजस्व में दर्ज नहीं की है नियमानुसार पुराने व नये नम्बरों का मिलान क्षैत्रफल अनुसार नये नम्बर बनाये है प्रार्थी अन्य नम्बर पर काबिज है, जिससे उसके नये व पुराने नम्बरों का मिलान नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत जमीन ग्राम धांगड़मउखुर्द, प0ह0 धांगड़मउखुर्दर्द, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ की साबिक खाता संख्या 270 पर दर्ज आराजी संख्या 150/9 रकबा 1.52 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी, सेटलमेंट पश्चात नये नम्बर आराजी संख्या 537 रकबा 1.51ह0 भूमि दर्ज रिकार्ड है, ऐसी स्थिति में मूल के वाद निस्तारण पर ही वस्तुस्थिति स्पष्ट होना प्रतित होता है, कृर्षि भूमि प्रार्थी की खातेदारी में पुर्व में दर्ज होने से प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी का होना साबित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थीगण के पक्ष में अधिक है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण की कृषि भूमि में किसी प्रकार का अमल दखल, मदाखलत न तो स्वयं करें, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gag
Date: 2024.11.27 17:12:49 IST
Reason: SelfAttested